

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1381]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016⁄ज्येष्ठ 13, 1938
No. 1381]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/ JYAISTHA 13, 1938

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

**का.आ**. 1977(अ).— निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: eszmef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

### प्रारूप अधिसूचना

गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य के चम्बा जिले में स्थित है, यह लगभग 108.40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक **उपाबंध** l के रूप में उपाबद्ध है ;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु की समृद्ध जैविकीय महत्व का प्रतिनिधित्व है;

और, गमगुल सियाबेही वन्यजीव अभयारण्य में काला भालू, भूरा भालू, तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, कस्तूरी मृग, घोरल,मोनल, चाकोर, कोकलस, कलीज, चीर का वास स्थान है; 2829GI/2016 (1) और, गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 3.30 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

 पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से, उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा को छोडकर, क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा जम्मू-कश्मीर की राज्य सीमा से मिलती है, 3.30 किलोमीटर तक होगा और ऐसे जोन की सीमा के ब्यौरे उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 28.90 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले गांवो की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) प्रमुख बिंदुओं के अक्षांश तथा रेखांश और सीमा ब्यौरों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई;
- (x) लोक निर्माण विभाग;

<sup>(</sup>i) पर्यावरण ;

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

# राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 20, 29, 33 और 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं;

(v) वर्षा जल संचयन :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी : परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे :

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा। (7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, या हिमाचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जी.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

# (12) औद्योगिक इकाईयां-

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

0

सारणा			
क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी	
(1)	(2)	(3)	
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप			
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर	
	उनको तोड़ने की इकाइयां ।	उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय	

		निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और	
		व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है ।	
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका	
		(सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम	
		भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट	
		याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ	
		के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण	
		में सर्वदा प्रचालन होगा ।	
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।	
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित स्वर्टे स्वर्टे स्वर्टे स्वर्टे स्वर्टे से क्वर्य के क्वर्य के क्वर्य के क्वर्य के क्वर्य के क्वर्य के क्वर्य क	
	कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना । नई मुख्य तापीय और जल विद्युत	करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
5.	नइ मुख्य तापाय आर जल ायधुत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू पिविया के अनुसार प्रातापद्ध (अन्यया उपकावत कासवाय) ।	
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
7.	दुकानदारो द्वारा प्लास्टिक बैग का	लागू विधि के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाए)	
	उपयोग।		
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
	अपशिष्टों का निस्सारण ।		
		नियमित क्रियाकलाप	
9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।	
	ऊपर से उड़ान भरना या गर्म वायु		
	गुब्बारों आदि का उड़ाना।		
10.	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के सबंध में पारिस्थितिक संवेदी	
	स्थापना ।	जस्याया व्यवसाय कालए आवास के संबंध में पारिस्यातक संवदा जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा या उसकी सीमा से एक किलोमीटर के	
		भीतर जो भी हो, नए वाणिज्यिक होंटलो और रिसोर्टो को अनुज्ञात	
		किया जाएगा अन्यथा नहीं ।	
11.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की	
		सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक	
		अनुज्ञात नहीं किया जाएगा	
		परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	
		क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी	
		परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से	
		संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी	

	_	
1		
	1	
	,	

		से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा
		(ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा।
12.	भूमि में खाई खोदना ।	भूमि में नई खाई खोदने का कार्य प्रतिषिद्ध है। भूमि में पुरानी खुदी हुई खाइयां लागू विधियों के अधीन विनियमित की जानी है ।
13.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
14.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
16.	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वृक्षों की कटाईं ।	<ul> <li>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</li> <li>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</li> <li>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया जाएगा  </li> </ul>
18.	भ्रमणशील चरागाह।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	विद्युत लाइनों का प्रतिष्ठापन।	भूमिगत केबल विछाए जाने को प्रोत्साहित करना पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजर कर जाने वाली सभी विद्यमान वैद्युत लाइनें आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रूप से विद्युतरूद्ध की जाएंगी।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
21.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के आबाध संचलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड नहीं लगाई जाएगी और कोई भी बाड एक मीटर से अधिक की नहीं होगी । इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
22.	गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है, का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	आंचलिक महायोजना के अधीन जब तक अन्यथा अनुज्ञात न हो कोई संनिर्माण क्रियाकलाप एक से दस से अधिक ढालों वाली पहाडी पर और किसी नदी या प्राकृतिक नाले के तटों से 100 मीटर तक भी नहीं किया जाएगा।
29.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
	सं	विर्धित क्रियाकलाप
30.	डेयरियों, डेयरी फार्मिग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चालू कृषि और उद्यान कृषि पद्धतियां।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, चम्बा -अध्यक्ष 2. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य 3. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला गैर सरकारी संगठन (पर्यावरण, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है, के क्षेत्र में कार्य करने वाला) का एक प्रतिनिधि –सदस्य 4.कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य 5.उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, चूराह -सदस्य 6.प्रभागीय वन अधिकारी (क्षेत्रीय) -सदस्य 7.प्रभागीय वन अधिकारी, (वन्यजीव) -सदस्य सचिव

### 6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V**पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

 इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/22/2016-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

	देशांतर	अक्षांश
उत्तर	75º50'46"पू	32º55'44"उ
पूर्वी	75⁰58'32" पू	32º48'40"उ
दक्षिण	75º56'37" पू	<b>32º47'29"</b> उ
पश्चिम	75º47'49" पू	32 <sup>0</sup> 52'48"उ

### गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

### उपाबंध – 🛙

## पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

**उत्तर:** पारिस्थितिक संवेदी जोन की उत्तर सीमा अभयारण्य की सीमा से आरंभ होकर उत्तर पश्चिम पर जम्मू एवं कश्मीर के साथ अंतर राज्य सीमा 76⁰50'28''पू 32º50'40''उ जाती है और जम्मू एवं कश्मीर में 75º56'60''पू 32º52'21''उ. के साथ उत्तर पूर्व की अंतर राज्य सीमा के अभयारण्य की सीमा के साथ विस्तृत होती है।

**पूर्व :** हिंडल पी. एफ. से होते हुए जम्मू एवं कश्मीर अंतर राज्य सीमा से आरंभ होकर, भादरोह ग्राम, अदप ग्राम में शिकरू दानल और कीहन दानल का संगम होता है

**दक्षिण:** कैनथली के शिकरू और कीहन दानल के संगम से आरंभ होकर, सीउल नदी के कहनी से होते हुए सीउल नदी के बाएं तट पर, 75º 55'12"पू 32º48'5"उ,75º54'29"पू 32º50'5"उ परीउनगल के चानेती ग्राम के रीखानी दानल 75º52'43"पू 32º50'33"उ ,जम्मू एवं कश्मीर की सीमा के 75º50'52"पू 32º50'13"उ सीखलू दीधार जाती है।

**पश्चिमी**: जम्मू एवं कश्मीर की अंतर राज्य सीमा 75º50'52''पू 32º50'13''उ से76º50'28''पू 32º50'40''उ तक आरंभ होती है।

उपाबंध – ।।।

#### पंचायत का ग्राम के नाम देशांतर/अक्षांश ऊंचाई नाम 32º47'11.50.2"उ 75º55'53.5"पू 1795 मीटर. 1 सनूह सनूह 1695 मीटर. 2 32º46'53.6"उ 75º56'41.5"पू सनूह गगल कैनथली 1738 मीटर सनूह 3 32º46'6.70"उ 75º56'9.30"प् 4 दनदोही 32º47'12.7"उ 75º57'26.2"पू 1942 मीटर सनूह 2060 मीटर. 5 अदापह 32º47'25.9"उ 75º57'40.8"पू सनूह 2266 मीटर. 6 भदरोह 32º48'02.4"उ 75º57'44.3"पू सनूह 7 1932 मीटर. दुगली 32º47'22.9"उ 75º57'48.3"पू सनूह 1 दीगोदी 32º48'19 4"उ 75º55'16 5"पू 1793 मीटर. भनदल खानई 2018 मीटर 2 32º48'12.9"उ 75º55'42.9"पू भनदल 1858 मीटर. 3 जसोह 32048'45.3"उ 75054'59.9"प् भनदल 1965 मीटर. 4 थारौली 32º48'56.4"उ 75º54'46.3"पू भनदल 5 32º49'15.3"उ 75º54'46.3"पू 1873 मीटर झानदूर भनदल 2092 मीटर मदोग 32º49'08 9"उ 75º55'00 7"पू 6 भनदल 1976 मीटर 7 थाथी 32º49'08.8"उ 75º54'52.1"पू भनदल जलेरी 1852 मीटर. 32°49'00 9"उ 75°54'45 4"प् भनदल 8 भनदल 9 सनघाती 32º49'45.3"उ 75º55'12.8"पू 1999 मीटर 2077 मीटर. 10 करवद 32º49'55.6"उ 75º55'39.8"पू भनदल 2087 मीटर भनदल पुथैल 32052'04 6"उ 75054'43 8"पू 11 1845 मीटर. 12 सनघनेद 32º49'30.2"उ 75º54'51.8"प् भनदल कोलोई 2059 मीटर. 13 32º49'43 4"उ 75º55'01 9"प् भनदल 14 भादुई 32º49'54.1"उ 75º54'52.9"पू 2060 मीटर. भनदल

## गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों

<u></u>	15	मध्यसम	22050'00 1"T ZE054'40 Z"H	2090 मीटर.
भनदल	10	पथवल	<u> </u>	2090 माटर.
भनदल	16	शागोदी	32º49'58.1"उ 75º54'44.4"पू	2027 मीटर.
भनदल	17	सवोन	32º49'53.1"उ 75º54'44.4"पू	1850 मीटर.
भनदल	18	चंदू	32º50'11.6"उ 75º54'29.9"पू	2040 मीटर.
भनदल	19	तरध	32º49'43.3"उ 75º54'51.2"पू	1842 मीटर.
भनदल	20	धमोगी	32º50'20.3"उ 75º54'37"पू	2248 मीटर.
भनदल	21	चानेट्टी	32º50'00.1"उ 75º54'00.7"पू	1984 मीटर.
भनदल	22	दादरी	32º49'36.6"उ 75º55'09.9"पू	1911 मीटर.
भनदल	23	कीनसलू	32º49'32.7"उ 75º55'21.0"पू	1951 मीटर.
भनदल	24	परीनोल	32º50'38.5"उ 75º52'47.0"पू	2071 मीटर.
भनदल	25	लनगेरी	32º50'33.5"उ 75º51'53.8"पू	2145 मीटर.

# उपाबंध – IV

# अक्षांश और देशांतर के साथ गमगुल सीयाबेही वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध – V

# पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति -की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है
- भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
- 6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

#### New Delhi, the 3rd June, 2016

**S.O. 1977(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at <u>esz-mef@nic.in.</u>

#### **Draft Notification**

WHEREAS, the Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary is situated in Chamba District of Himachal Pradesh and is spread over an area of about 108.40 square kilometers. The co-ordinates of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-I.

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary.

**AND WHEREAS**, the Gamgul Siyabehi Wild Life Sanctuary is habitat of Black Bear, Brown Bear, Leopard, Leopard Cat, Musk Deer, Ghoral, Monal, Chakor, Koklas, Kalij and Cheer.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary as Ecosensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 3.30 kilo meter around the boundary of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

**1.** Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent upto 3.30 kilometer from the boundary of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary except on the North-Eastern and North-Western side, as the boundary of the Wild life Sanctuary is co-terminus with the State boundary of Jammu and Kashmir and the boundary details of such zone is appended as Annexure-II. The Eco-sensitive Zone area is 28.90 square kilometers.

- (2) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-III
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-IV.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation, and
- (x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industries related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents and for the activities listed against serial numbers 10,20,29,34 and 35 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone.

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive

Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluents in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Ecosensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

### TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited	l Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	
		No.435 of 2012.

2.	Setting up of saw mills and wood based industry	No new or expansion of existing saw mills or wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco- sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable
6.	hydro-electric projects. Commercial use of firewood.	laws. Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable
		laws.
7.	Use of polythene bags by shopkeeper.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated	Activities
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
11.	Construction activities.	<ul> <li>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</li> <li>Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:</li> <li>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</li> <li>(b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for <i>bone fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</li> <li>(c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.</li> </ul>
12.	Trenching ground.	Establishment of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	<ul> <li>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;</li> <li>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</li> <li>(c) In case of reserve forests and protected forests, the working plan prescriptions shall be followed.</li> </ul>

18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Erection of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
20.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
22.	Collection of Non-timber forest products.	Regulated under applicable laws.
23.	Drastic change of agricultural system.	Regulated under applicable laws.
24.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by or under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
29.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro- based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
	Promoted	Activities
30.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

a)	District Magistrate, Chamba	-Chairman
b)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated	
	by the Government of Himachal Pradesh for a period of one year.	-Member
c)	One representative of non-Governmental Organisation (working in	
	the field of environment including heritage conservation) to be nominated	
	by the Government of Himachal Pradesh for a period of one year.	-Member
d)	Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board-	-Member
e)	Sub Divisional Magistrate, Churah-	-Member
f)	Divisional Forest Officer (Territorial) -	-Member
g)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	- Member-Secretary.

**6. Terms of Reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Park in-Charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per pro forma appended at Annexure V.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/22/2016-ESZ-RE] Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

#### **ANNEXURE-I**

#### Co-ordinates of Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary

	Longitude	Latitude
North	75 <sup>0</sup> 50'46''E	32 <sup>0</sup> 55'44''N
East	75 <sup>°</sup> 58'32''E	32 <sup>0</sup> 48'40''N
South	75 <sup>°</sup> 56'37''E	32 <sup>0</sup> 47'29''N
West	75 <sup>°</sup> 47'49''E	32 <sup>0</sup> 52'48''N

#### **ANNEXURE-II**

### BOUNDARY DETAILS OF ECO-SENSITIVE ZONE

**NORTH:** North boundary of the proposed Eco- sensitive Zone is the boundary of inter-state boundary with Jammu and Kashmir at  $76^{0}50'28''$ E  $32^{0}50'40''$ N on north-west and and extends along the boundary of sanctuary upto inter-state boundary on north-east with Jammu and Kashmir at  $75^{0}56'60'$ 'E  $32^{0}52'21''$ N.

**EAST:** Starts from inter-state boundary Jammu and Kashmir and passes through Hindal PF, village Bhadroh, confluence of Shikru da Nal and kihan da Nal village Adap.

**SOUTH:** Starts from confluence of Shikru and kihan da Nal upto Kainthly, Siul river on the left bank of river Siul through Khani ,75<sup>o</sup> 55'12"E 32<sup>o</sup>48'5"N,75<sup>o</sup>54'29"E 32<sup>o</sup>50'5"N village Chaneti Rikhani da Nal upto Priungal 75<sup>o</sup>52'43"E 32<sup>o</sup>50'33"N ,Sikhnu di Dhar upto75<sup>o</sup>50'52"E 32<sup>o</sup>50'13"N on the boundary of Jammu and Kashmir.

**WEST:** inter-state boundary with Jammu and Kashmir which starts from  $75^{0}50'52''E 32^{0}50'13''N$  upto $76^{0}50'28''E 32^{0}50'40''N$ .

#### ANNEXURE-III

#### List of Villages in Eco-sensitive Zone around Gamgul Siyabehi Wildlife Sanctuary

Name of	Name o	f village	Longitude/Latitude	Elevation
Panchyat				
Sanuh	1	Sanuh	32 <sup>°</sup> 47'11.50.2"N 75 <sup>°</sup> 55'53.5"E	1795 Mtr.
-do-	2	Gagal	32 <sup>°</sup> 46'53.6"N 75 <sup>°</sup> 56'41.5"E	1695 Mtr.
-do-	3	Kainthly	32 <sup>°</sup> 46'6.70"N 75 <sup>°</sup> 56'9.30"E	1738 Mtr.
-do-	4	Dandodi	32 <sup>°</sup> 47'12.7"N 75 <sup>°</sup> 57'26.2"E	1942 Mtr.
-do-	5	Adaph	32 <sup>°</sup> 47'25.9"N 75 <sup>°</sup> 57'40.8"E	2060 Mtr.

6 7

 $\frac{1}{2}$ 

3

5

6

7

8

10

11

12 13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Chandu

Dhamogi

Chanetti

Dadari

Kinsalu

Prinual

Langera

Tradh

-do-

-do-Bhandal

-do--do-

-do-

-do--do-

-do-

-do-

-do-

-do-

-do--do-

-do--do-

-do-

Bhadroh	32 <sup>°</sup> 48'02.4"N 75 <sup>°</sup> 57'44.3"E	2266 Mtr.
Dugli	32 <sup>°</sup> 47'22.9"N 75 <sup>°</sup> 57'48.3"E	1932 Mtr.
Digodi	32 <sup>0</sup> 48'19.4"N 75 <sup>0</sup> 55'16.5"E	1793 Mtr.
Khanei	32°48'12.9"N 75°55'42.9"E	2018 Mtr.
Jasoh	32 <sup>°</sup> 48'45.3"N 75 <sup>°</sup> 54'59.9"E	1858 Mtr.
Tharoli	32 <sup>0</sup> 48'56.4"N 75 <sup>0</sup> 54'46.3"E	1965 Mtr.
Jhandoor	32 <sup>°</sup> 49'15.3"N 75 <sup>°</sup> 54'46.3"E	1873 Mtr.
Madog	32 <sup>°</sup> 49'08.9"N 75 <sup>°</sup> 55'00.7"E	2092 Mtr.
Thathi	32 <sup>°</sup> 49'08.8"N 75 <sup>°</sup> 54'52.1"E	1976 Mtr.
Jalari	32 <sup>°</sup> 49'00.9"N 75 <sup>°</sup> 54'45.4"E	1852 Mtr.
Sanghani	32 <sup>0</sup> 49'45.3"N 75 <sup>0</sup> 55'12.8"E	1999 Mtr.
Karwad	32 <sup>°</sup> 49'55.6"N 75 <sup>°</sup> 55'39.8"E	2077 Mtr.
Puthial	32 <sup>°</sup> 52'04.6"N 75 <sup>°</sup> 54'43.8"E	2087 Mtr.
Sanghned	32 <sup>°</sup> 49'30.2"N 75 <sup>°</sup> 54'51.8"E	1845 Mtr.
Koloie	32 <sup>°</sup> 49'43.4"N 75 <sup>°</sup> 55'01.9"E	2059 Mtr.
Bhadei	32 <sup>°</sup> 49'54.1"N 75 <sup>°</sup> 54'52.9"E	2060 Mtr.
Pathwal	32 <sup>°</sup> 50'00.1"N 75 <sup>°</sup> 54'49.7"E	2090 Mtr.
Shagodi	32 <sup>°</sup> 49'58.1"N 75 <sup>°</sup> 54'44.4"E	2027 Mtr.
Swon	32 <sup>°</sup> 49'53.1"N 75 <sup>°</sup> 54'44.4"E	1850 Mtr.

#### ANNEXURE-IV

2040 Mtr.

1842 Mtr.

2248 Mtr.

1984 Mtr.

1911 Mtr.

1951 Mtr.

2071 Mtr.

2145 Mtr.

### MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GAMGUL SIYABEHI WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

32°50'11.6"N 75°54'29.9"E

32°49'43.3"N 75°54'51.2"E

32<sup>0</sup>50'00.1"N 75<sup>0</sup>54'00.7"E

32<sup>0</sup>49'36.6"N 75<sup>0</sup>55'09.9"E

32°49'32.7"N 75°55'21.0"E

32°50'38.5"N 75°52'47.0"E

32°50'33.5"N 75°51'53.8"E

32°50'20.3"N 75°54'37"E



**ANNEXURE-V** 

### Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance: